

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 321 / 2016 / डिक्री

गणेशलाल पिता दौलतराम ब्राह्मण
निवासी अरनेड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्त

बनाम

1. भगवतीलाल पिता दौलतराम ब्राह्मण
निवासी अरनेड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय आदेश उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
दिनांक 13/05/2016 प्रकरण संख्या 06/2012

- उपस्थित —
1. श्री राकेशपुरी गोस्वामी — अभिभाषक अपीलान्त
 2. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—1

निर्णय

दिनांक : 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के यहां एक वाद धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम अरनेड की आराजी नम्बर 2789/1154 रकबा 10 बिस्वा जमीन जो वादी एवं प्रतिवादी के पिता दौलतराम के नाम आवंटन हुई थी जो वर्तमान में उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के नाम अन्य आराजी के साथ संयुक्त रूप से दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी की है। वर्तमान में बाड़े के रूप में काम में ली जा रही है। दोनों के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हुआ इसका 1/2, 1/2 हिस्से में बंटवाडा किया जाना न्यायोचित है। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. वाद पत्र का प्रतिवादी अपीलान्त ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच दिनांक 26/06/1990 मिति आषाढ सुदी चौथ को बंटवाडा हो चुका है तथा बंटवाडे की लिखापढी याददास्त के रूप में वादी एवं प्रतिवादी ने मिलकर बही में

निष्पादित कर दी थी तथा वादग्रस्त आराजी बंटवाडे के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से एवं कब्जे मे निहित हुयी तथा इसके बदले खतोनी संख्या 315, 217 की आराजी नम्बर 2045, 2048, 2049, 2050 किस्त माल कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा मे दौलतराम के आधे भाग का बंटवाडा पक्षकारो के बीच हुआ तथा वादी को ऊपजाऊ व कीमती भाग 3 बीघा 5 बिस्वा दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 2 बीघा 15 बिस्वा रखा। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी नम्बर 2789/1154 मे हिस्सा नही होकर उसके बजाय 5 बिस्वा भूमि उक्त आराजीयात मे पुरी देकर एडजस्ट कर दिया गया। इस प्रकार 22 वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर कोई हक हिस्सा नही है। पारिवारिक सेटलमेन्ट से वादी उक्त आराजी से अपना हक हिस्सा नही है। पारिवारिक सेटलमेन्ट से वादी उक्त आराजी से अपना हक त्याग चुका है। विवादित बाडे पर बाउण्ड्री का कार्य कराते हुए ट्युबवेल लगाकर चद्दरो का ढालिया बनाया मवेशी बाडे मे बंधते है। इस प्रकार बिना रोक टोक के प्रतिवादी उपयोग उपभोग कर रहा है। जमीनो की कीमते बढने से शामिल खाता होने से मात्र एक ही आराजी का गलत दावा पेश किया जो खारीज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर पत्रावली के प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 की पेशी बहस पर नियत होने से दिनांक 06/05/2016 से आगामी दिनांक 08/07/2016 दी दी गई किन्तु दिनांक 13/05/2016 को ही पत्रावली कैम्प कोर्ट मे ले जाकर बिना सूचना पत्र जारी किये एक पक्षीय करते हुए प्राथमिक डिक्री बनाने के बजाय डायरेक्ट भू0अ0 निरीक्षक से कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार डूंगला के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो आदेश पारित कर दिया। आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई नही करते हुए लोक अदालत मे प्रकरण को वादी के कहे अनुसार निर्णित कर दिया। प्रकरण मे अपीलान्ट का जवाबदावा प्रस्तुत है तथा दस्तावेज प्रस्तुत है तथा पूर्व मे पारिवारिक सेटलमेन्ट हो चुका है इन सभी तथ्यो पर न्यायालय को आदेश पारित करना चाहिये था। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय डूंगला का निर्णय एवं आदेश दिनांक 13/05/2016 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है जिसमे दोनो पक्षो का नाम है। प्रश्नगत भूमि ग्राम अरनेड तहसील डूंगला खसरा नम्बर

2789/1154 रकबा 10 बिस्वा जो कि बाडा है को लेकर विवाद है। पूर्व में उक्त भूमि राजीनामे के आधार पर अपीलान्त के हिस्से में आ चुकी है इस सम्बन्ध में दिनांक 26/06/1990 की एक लिखत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 36 पर है। इस प्रकरण में तनकीयात कायम हो चुकी थी तथा पत्रावली में साक्ष्य में चल रही थी। इसी दौरान आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें एक अतिरिक्त तनकी बनाने की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस होनी थी इसी दौरान पत्रावली कैम्प कोर्ट के लिये रख दी गई जिसमें नोटिस जारी हुए। अपीलान्त की तामील देवीलाल नामक व्यक्ति को किया जाना बताया है जिसका अपीलान्त से क्या रिश्ता है, का खुलासा नहीं है। पत्रावली की आदेशिका पर भी अपीलान्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी अपीलान्त की उपस्थिति नहीं दर्शाई है। इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव मंगाया गया जो लोक अदालत में तहसीलदार डूंगला द्वारा दिनांक 25/06/2016 को प्राप्त हुए तथा उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जाता तो न्यायोचित होता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोंडेन्ट ने बयान किया कि जमाबन्दी संवत् 2070-72 जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 12 पर उपलब्ध है,के अनुसार खसरा नम्बर 2789/1154 में दोनों पक्षों का नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी (अपीलान्त) का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें अन्य 8 खसरों के बंटवाड़े के बारे में लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 5 तनकीयात कायम की। फर्द बंटवाड़ा मंगाया गया जिसमें गिरदावर द्वारा दोनों पक्षों को सूचित किया गया। दोनों पक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया परन्तु प्रतिवादी/अपीलान्त ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। उक्त फर्द के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के पश्चात् बिना उभयपक्षों की सहमति के प्रकरण लोक अदालत में सुना गया जो न्यायोचित नहीं है। ऐसे प्रकरण साक्ष्य के आधार पर विस्तृत रूप से निर्णित किये जाने चाहिये। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 6/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13/05/2016 अपास्त किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़